बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या 42/2017

बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा- 2017

बिहार राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में कक्षा I से V एवं कक्षा VI से VIII तक के लिए बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा- 2017 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अर्हत्ता रखने वाले केवल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में ऑन लाइन आवेदन पत्र निम्न कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाता है :-

क्र0 सं0	विवरणी	तिथि
01.	ऑन लाईन आवेदन फॉर्म प्रारम्भ की तिथि	06.04.2017
02.	ऑन लाईन आवेदन फॉर्म एवं ई–चालान प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	25.04.2017
03.	SBI Branch (ई–चालान) द्वारा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	27.04.2017
04.	ऑन लाईन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि	28.04.2017
05.	परीक्षा आयोजन की तिथि	11.06.2017

2. **परीक्षा के विषय :** इस परीक्षा में दो पत्र होंगे ।

(i) कक्षा I से V तक शिक्षक बनने के लिए प्रथम पत्र में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। प्रथम पत्र में मात्र हिन्दी, उर्दू एवं बंगला भाषा विषय की पात्रता परीक्षा ली जायेगी। विषयवार प्रश्नों एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रथम पत्र के अन्तर्गत -			कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
i	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र	-	30 प्रश्न	30 अंक	
ii	भाषा-I (हिन्दी/उर्दू)	-	30 प्रश्न	30 अंक	
iii	भाषा-II (उर्दू/बंगला/में से कोई एक)	-	30 प्रश्न	30 अंक	
iv	गणित	-	30 प्रश्न	30 अंक	
v	पर्यावरण अध्ययन	-	30 प्रश्न	30 अंक	
	कुल प्रश्नों/अंकों का योग एवं समयावधि	-	**150 प्रश्न**	**150 अंक**	**150 मिनट**

नोट : भाषा I में से जिस भाषा का चयन किया जायेगा, भाषा II में से उस भाषा का चयन नहीं किया जायेगा।

(ii) कक्षा VI से VIII तक शिक्षक बनने के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। द्वितीय पत्र में निर्धारित भाषा विषय के अनुसार पात्रता परीक्षा ली जायेगी। विषयवार प्रश्नों एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है :-

द्वितीय पत्र के अन्तर्गत :			कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
i	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र	-	30 प्रश्न	30 अंक	
ii	भाषा-I (हिन्दी/उर्दू/बंगला/मैथिली/भोजपुरी/संस्कृत/अरबी/फारसी/अंग्रेजी में से कोई एक)	-	30 प्रश्न	30 अंक	
iii	भाषा-II (हिन्दी/उर्दू/बंगला/मैथिली/भोजपुरी/संस्कृत/अरबी/फारसी/अंग्रेजी में से कोई एक)	-	30 प्रश्न	30 अंक	
iv	गणित एवं विज्ञान अथवा समाज विज्ञान	-	60 प्रश्न	60 अंक	
	कुल प्रश्नों/अंकों का योग एवं समयावधि	-	**150 प्रश्न**	**150 अंक**	**150 मिनट**

नोट : भाषा I में से जिस भाषा का चयन किया जायेगा, भाषा II में से उस भाषा का चयन नहीं किया जायेगा।

(iii) जो अभ्यर्थी दोनों स्तर के शिक्षक बनने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हो, उन्हें दोनों पत्रो में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

(iv) पेपर - I अथवा पेपर- II एवं दोनों पत्रो के लिए आवेदक एक ही आवेदन भरेंगे। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर उक्त आवेदक का सभी आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, साथ ही शुल्क की राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

3. **आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अहर्त्ता :-**

(i) कक्षा I से V तक (पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक के बेसिक ग्रेड) शिक्षक हेतु :

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र (बी.एल.एड.) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (विशेष शिक्षा) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

और

केन्द्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

(ii) कक्षा VI से VIII तक (प्रखण्ड शिक्षक के स्नातक ग्रेड) शिक्षक हेतु :

बी.ए./बी.एस.सी. और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी. एड.) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी. एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड या बी.ए.एड./बी.एससी.एड. में उतीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा प्राप्त एवं एक वर्षीय बी. एड. (विशेष शिक्षा)

और

केन्द्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टी.ई.टी.) मे उत्तीर्ण।

(iii) केवल केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र मे डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुर्नवास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा ।

(iv) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पौलिटेकनिक, यूनानी शिक्षा आदि) तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) सामान्य शिक्षक पद पर नियोजन हेतु मान्य नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना अथवा आदेश के आलोक में किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी शिक्षक पद पर नियोजन हेतु मान्य नही है। शिक्षक पद पर नियोजन हेतु किसी प्रमाण पत्र अथवा डिग्री की समकक्षता प्रदान करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा सकेगा।

4. बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 एवं संशोधित नियमावली 2014 के आलोक मे निम्न बिन्दु प्रावधानित है :-

(i) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू भाषा के लिए प्रथम पत्र मे बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा इन्टरमीडिएट मे न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय में उतीर्णीता एवं द्वितीय पत्र मे आलिम अथवा स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 अंको का उर्दू विषय की परीक्षा में उतीर्णता आवश्यक है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त)-2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 मे निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होगें।

(ii) संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री/शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संस्कृत मे स्नातक की योग्यता एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त)- 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 मे निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होगें।

(iii) बंगला भाषा में इन्टर स्तर की योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बंगला मे स्नातक की योग्यता एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त)- 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होगें।

5. **विशेष निर्देश :**

(a) अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/विशेष रूप से विकलांग/महिला जैसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति होगी।

(b) शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स : इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि, शिक्षा मे डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बीएड (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउसिल ऑफ इडिया) (आरसीई) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

(c) ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा मे स्नातक डिग्री अथवा प्रारंभिक शिक्षा मे डिप्लोमा के अंतिम वर्ष मे शामिल हो रहे है को अन्तिम रूप से प्रवेश दिया जाता है और उनका टीईटी रिजल्ट कार्ड उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।

(d) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण बी0सी0ए0 के छात्र गणित/विषय ग्रुप के अन्तर्गत पात्रता परीक्षा देने के पात्र होंगे।

(e) पूर्व के नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षित हो तथा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हो तो वे अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे।

(f) ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त योग्यता नही होगी वे बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 मे शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगें।

(g) इस परीक्षा हेतु शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला निदेशक तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित अर्हताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

(h) शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित अर्हत्ताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं देंगे। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट हो लें और यदि वे निर्धारित योग्यता/मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसका व्यक्तिगत जिम्मेदार स्वयं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि किसी उम्मीदवार को बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जाए कि उम्मीदवार की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोजन प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से समर्पित की जाएगी।

6. **आयु सीमा :** "बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017" में सम्मिलित होने हेतु दिनांक- 01.08.2017 को प्रथम पत्र मे न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं द्वितीय पत्र मे न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए । अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

कोटि	उम्र	कोटि	उम्र
सामान्य पुरूष	35 वर्ष	अति पिछड़ा वर्ग/ पुरूष/महिला	38 वर्ष
सामान्य महिला	38 वर्ष	अनुसूचित जाति/ पुरूष/महिला	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग पुरूष/महिला	38 वर्ष	अनुसूचित जनजाति/ पुरूष/महिला	40 वर्ष

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत ही नियोजन करने का प्रावधान है। अधिकतम आयु सीमा के उपरान्त यह पात्रता मापदण्ड (सरकारी विद्यालयों में नियोजन हेतु) स्वतः समाप्त हो जाएगा।

7. **परीक्षा शुल्क का भुगतानः** अभ्यर्थी अपना आवेदन समिति के बेवसाइट पर ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उपरांत Payment Mode पर जाकर क्लिक करेंगे जिसके उपरान्त भारतीय स्टेट बैंक के I-Collect का पैनल खुल जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से संबंधित सूचना शुद्ध-शुद्ध अंकित करेंगे। तदोपरान्त भुगतान संबंधी विकल्प का चयन करेंगे। भुगतान हेतु क्रमशः डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग एवं SBI Branch (ई-चालान) के माध्यम से शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। शुल्क संरचना निम्नवत् है:-

कोटि (वर्ग)	पेपर I या पेपर II	पेपर I एवं पेपर II दोनों
सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा	400.00	600.00
अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/निःशक्त	200.00	300.00

सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जो भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किए जाएगें।

8. **आवेदन कैसे करें :-**

(i) आवेदक बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 को ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक वेबसाईट **www.bsebonline.net** पर उपलब्ध है। **आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य साधन/मोड (Mode) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जाएगा।**

(ii) बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 मे सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार विहित/निर्धारित ऑनलाइन फार्म मे दिनांक 06.04.2017 से 25.04.2017 तक आवेदन करेंगे।

(iii) आवेदन फार्म अंग्रेजी मे ही भरा जाएगा। आवेदक द्वारा की गई किसी भी गलती की जिम्मेदारी केवल आवेदक की होगी। आवेदन जमा होने के बाद यदि कोई त्रुटि हो तो संशोधन की अनुमति नही दी जायेगी।

(iv) बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा- 2017 के आवेदन में उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की सुविधा सहित सभी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। सभी विवरण ऑन लाइन भरे जाएगें और आवेदन पत्र भरते समय फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (केवल JPG फाइल) का स्कैन अपलोड किया जाना है।

(v) उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व अपना फोटोग्राफ/हस्ताक्षर (JPG फाइल) स्कैन कर तैयार रख लेंगे।

(vi) उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व सूचना बुलेटिन में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट हो लें। यदि आवेदक निर्धारित योग्यता मापदण्ड के अनुसार योग्य नही पाये जाते है तो इसकी जवाबदेही स्वयं आवेदक की होगी।

(vii) उम्मीदवार द्वारा ऑन लाइन फॉर्म भरते समय अपना पूर्ण विवरण देंगे और अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करेंगे। विवरण को पूर्ण रूप से अपलोड करने के उपरान्त उम्मीदवार को बेवसाइट से एक पंजीकरण संख्या (Registration No.) सहित पुष्टिकरण (Confirmation Page) प्राप्त होगा जिसे वे भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। पुष्टिकरण (Confirmation Page) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नही भेजी जाए।

परीक्षा नियंत्रक